यह निरीक्षण प्रतिवेदन **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VI वा.क. देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VI वा.क. देहरादून के माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी,व0ले0प0 एव श्री प्रवीण कुमार एवं बी0एम0 त्रिपाठी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.08.2017 से 30.08.2017 तक श्री एन.सी. शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनीष कुमार ले0प0 एवं हिमांशु मणि एवं श्री एन0के0 श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक. 21.07.2014 से 02.08.2014 तक श्री के0एल0 भटट् लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** दवाई, मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस (धर्मपुर, गांधी रोड़, त्यागी रोड़ एवं हरिद्वार रोड़)

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे**)
2014-15	796.66
2015-16	828.14
2016-17	1534.89

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
शून्य					

(ii) (स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई - 'ए' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (वित्त) > राज्य आयुक्त कर, >एडिशनल कमिश्नर>ज्वाइंट कमिश्नर, > डिप्टी कमिश्नर, > सहायक आयुक्त , राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VI वा.क. देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण ₹16.15 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–VI वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में निम्नलिखित कमियॉ पायी गयीः–

(i) कार्यालय में पंजिकृत व्यापारी सर्वश्री कृष्णा फर्मास्यूटिकल एण्ड सर्जिकल (एजेन्सीज)क0नि0 वर्ष 2011–12 में सर्जिकल गुडस की प्रांतीय बिक्री ₹ 1,57,75637/– एवं केन्द्रीय बिक्री–₹ 92,500/का किया गया था। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। जबकि पत्रांक आयु0 कर/उत्तराखण्ड/धारा–57 अनुभाग/2012–13 दिनांक 23 जुलाई 2012 के धारा–57 के निर्णय के अनुसार सर्जिकल गुड्स को अवर्गीकृत सूची में रखा गया जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा की गयी कुल बिक्री (VAT+CST) ₹ 1,58,68,137/के सर्जिकल गुड्स पर अन्तरीय 9 प्रतिशत की दर से ₹14,28,132/का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बिक्री की गयी वस्तु अनुसूची–II B के प्रविष्टि सं0 72 से आच्छादित है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में, व्यापारी के वार्षिकी विवरणी में एवं फार्म–16 में बिक्रीय वस्तु का नाम सर्जिकल गुड्स लिखा गया है जो अनुसूची –II B के प्रविष्टि सं0–72 से आच्छादित नहीं है।

(ii) कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री रूद्रा एण्टरप्राइजेज क0नि0 वर्ष 2011–12 में व्यापारी द्वारा ₹13,62,124/के मेडिकल एवं सर्जिकल गुडस के बिक्री पर 4.5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित किया गया था। पत्रावली में संलग्न क्रय सूची के जॉच में पाया गया कि प्रपत्र–16 से प्रान्त के बाहर से ₹6,71,043/ का सर्जिकल गुड्स आयात किया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा किये गये सर्जिकल गुड्स की बिक्री ₹6,71,043/पर अन्तरीय दर 9 प्रतिशत की दर से ₹60,393/का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

(iii) कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री खुराना ऑटो मोबाइल क0नि0 वर्ष 2012–13 में 44 आपात घोषणा पत्र (फार्म–16) से कुल ₹1,72,64,053/का स्पेयर पार्टस की खरीद की गयी थी। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹11,22,512/की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर

आरोपित किया गया था। पत्रावली में संलग्न फार्म–16 की लिस्ट में पूरा माल स्पेयर पार्ट की खरीद दर्शाया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री ₹11,22,512/के स्पेयर पार्ट पर अन्तरीय दर 8.5 प्रतिशत की दर से ₹95,413/का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iv) कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री सन टेक्नालॉजी क0नि0 वर्ष 2012–13 में ₹4,13,190/की बैटरी की बिक्री की गयी थी। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था। जबकि बैटरी उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में आच्छादित न होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में बैटरी की बिक्री ₹4,13,190 पर अन्तरीय 9 प्रतिशत की दर से ₹31,187 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण कर निर्धरण आदेश में वस्तु का नाम गलत लिखा गया है जिसे धारा 30 में संशोधित कर दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने बाद से विभाग द्वारा बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

भाग–2 (अ)

प्रस्तर 02: कर का अनारोपण ₹ 6.07 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड– VI वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जॉच में निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी–

(i) कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री सेठी ऑटो मोबाईल्स, 3, राजा रोड, देहरादून, क0नि0 वर्ष 2012–13 में व्यापारी का 13.5 प्रतिशत वाले माल की व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार दाखिल की गई तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण में स्वीकार की गई।

प्रा0 रहतिया– ₹ 90,01,375/–

खरीद (i) ₹4,88,274/– (आयतित)

(ii) ₹2,17,600/– (प्रान्तीय)

कुल खरीद ₹7,05,874/–

बिक्री (i) ₹4,01,920/– (प्रान्त में)

(ii) ₹19,16,850/– (केन्द्रीय बिक्री फार्म सी से)

(iii) ₹1,71,050/– (केन्द्रीय बिक्री)

कुल बिक्री ₹24,89,820/–

अन्तिम रहतिया– ₹ 27,22,740/–

नियमानुसार निम्न प्रकार से ₹ 69,84,509/– की बिक्री होनी चाहिए थी।

प्रा0 रहितया + खरीद – अंतिम रहतिया = बिक्री ₹ 9001375 + ₹ 705874– ₹ 2722740 ₹ 6984509

जबकि व्यापारी द्वारा दाखिल व्यापारिक स्थिति तथा कर निर्धारण आदेश के अनुसार ₹2489820/ की 13.5 प्रतिशत की दर से बिक्री दर्शायी गयी थी।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा अन्तरीय बिक्री ₹44,94,689 (6984509–2489820) पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹6,06,783/ कर आरोपणीय होगा, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर–1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.19 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–10 (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि "रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यदि मिथ्या जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र के अन्तर्गत है" तो धारा 10 (क) के अन्तर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा–10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीय प्रमाण–पत्र यथा स्थिति उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शस्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ गुने से अधिक न हो जो उस माल के उसको किये गये विक्रय की बावत धारा–8 के उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्गृहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अन्तर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–VI वाणिज्यकर देहरादून में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री एपैक्स क्रिएशन 35/1 रेसकोर्स, देहरादून की वर्ष 2010–11 की पत्रावली की जॉच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी ने फार्म "सी" का उपयोग कर ₹94860/धनराशि का Dry Clean Machine का प्रान्त बाहर से क्रय किया, उक्त अवधि में व्यापारी Dry Clean Machine के प्रपत्र "सी" निर्गत कर प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं थे। कर निर्धारण आदेश में भी अर्थदण्ड की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये गये थे।

अतः ₹94860/धनराशि की प्रपत्र "सी" जारी कर Dry Clean Machine आयात करने पर उपरोक्त धारा के अनुसार कर की दर 13.5 प्रतिशत का डेढ गुना ₹19209.00 आरोपणीय होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–01 अंकगणितीय त्रुटि के कारण ₹0.06 लाख की राजस्व क्षति ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणिय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड– VI वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री शिप्रा होटल लि0, 48B रेसकोर्स देहरादून द्वारा वर्ष 2011–12 के भोजन एवं कोल्डड्रिंक्स की प्रान्तीय बिक्री ₹6,43,263/पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया जबकि उपरोक्त वस्तु पर नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होना चाहिये था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा किया गया भोजन एवं कोल्डड्रिक्स की प्रान्तीय बिक्री ₹6,43,263 पर अन्तरीय कर की दर 1 प्रतिशत (13.5–12.5) से ₹6432.00 कर और आरोपणीय था जो आरोपित होने से रह गया चूँकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर है अत इस पर दिनांक 01.11.2011 से जमा करने की तिथि तक 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि लिपिकीय त्रुटि को संशोधित किया जायेगा

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-18/2006-7	01	02,03,04
CT-25/2007-08	01	01,02,03,04
CT-40/2010-11		STAN-1
CT-03/2011-12	01	01
CT-42/2012-13	-	01,02
CT-11/2014-15	01	01,STAN-01,02,03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VI वा.क. देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) भाग 2'क' प्रस्तर–1
   (ii) भाग 2'क' प्रस्तर–2
   (iii) भाग 2'क' प्रस्तर–3

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मोहिता भण्डारी	असिस्टेंट कमिश्नर
(ii)	श्री अर्जुन सिंह राणा	असिस्टेंट कमिश्नर
(iii)	श्रीमती शिखा थपलियाल	असिस्टेंट कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-VI वा.क. देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

RK 28-09-17

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र